न्यायालय सहायक कलक्टर ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 24/2016

वादीगण

1. जगाराम पुत्र अजाजी
2. रूडाराम पुत्र अजाजी
3. बीजलाराम पुत्र अजाजी
4. सामतीराम पुत्र अजाजी
5. आला वल्द अजाजी फौत के वारीसानः–

5/1 पूनमाराम पुत्र आलाजी
5/2 हरजीराम पुत्र आलाजी कौम कलबी साकिन चारा तहसील रानीवाडा जिला जालोर

प्रतिवादीगण

1. जैरूपाराम वल्द रावताराम कौम सरगरा साकिन बिलड
2. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा
3. हल्का पटवारी कागमाला
4. हल्का पटवारी चितरोडी तहसील रानीवाडा

अन्तर्गत धारा,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. श्री जबराराम पुरोहित अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री पुखराज विश्नोई अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1।
3. प्रतिवादी संख्या 2 राजपेरोकार तहसीलदारा रानीवाडा

निर्णय

दिनांक – 18.02.2021

1. पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभय पक्षकारान के बहस तथ्यों पर मनन किया। वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व धारा 136 आर. एल. एक्ट,धारा 88 खातेदारी घोषणा एवं धारा 188 स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है। वाद पत्र में मौजा चारा में वादीगण की मालिकारा हक, स्वामित्व की खातेदारी आराजी पुराने खसरा नम्बर 312/568 रकबा 38 बीधा 10 विस्वा, खसरा संख्या 313 रकबा 5 विस्वा, खसरा नम्बर 314 रकबा 6 विस्वा स्थित है। जिसके सेटलमेन्ट के दौरान नवीन खसरा नम्बर 537 रकबा 0.17 हैक्टर, खसरा नम्बर 541 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा संख्या 542 रकबा 4. 65 हैक्टर, खसरा नम्बर 543 रकबा 1.48 हैक्टर, खसरा नम्बर 544 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 545 रकबा 0.04 हैक्टर, सृजित किये गये। मिलान क्षैत्रफल वाद में प्रस्तुत किया है। सरहद मौजा बिलड़ में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी पुराने खसरा संख्या 141/1 रकबा 3 बिघा 4 विस्वा स्थित है। सेटलमेन्ट के दौरान नवीन खसरा नम्बर 242 रकबा 0.85 हैक्टर, खसरा संख्या 243 रकबा 0.75 हैक्टर सृजित किये गये। नवीन खसरा नम्बर 242 रकबा 0.85 हैक्टर राजकीय खाते में दर्ज किया एवं नवीन खसरा संख्या 243 रकबा 0.75 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 1 जयरूपाराम के खाते में दर्ज किया गया। मिलान क्षैत्रफल, खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2011 से 2029 तक जमाबंदी संवत 2037 से 2040 तक, वर्तमान जमाबंदी एवं अन्य राजस्व रेकर्ड की नकल वाद पेश है। पुराने खसरा संख्या 141/1 रकबा [illegible] 4 विस्वा से सृजित खसरा संख्या 242 रकबा 0.85 हैक्टर, खसरा संख्या 243 रकबा 0.75 हैक्टर आराजी वाद में वादग्रंस्त आराजी है। जिसे वाद में वादग्रस्त आराजी से [illegible] किया गया है।
2. वादीगण की आराजी वाद पत्र के पद संख्या [illegible] में वर्णितानुसार ग्राम चारा की ग्राम सीमा पर एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी ग्राम बिलड़ की ग्राम सीमा पर स्थित है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज आराजी गांव चारा व बिलड़ दानों ग्रामो की सीमा पर पास पास स्थित है। वादग्रस्त आराजी पुराने

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.03.12 18:43:25 IST
Reason: SelfAttested

खसरा संख्या 141/1 रकबा 3 बीघा 4 विस्वा करीबन संवत् 2030 के आसपास लुम्बा पुत्र रामजी कौम भांबी के नाम आंवटन की गयी एवं राजस्व रेकर्ड में गैर खातेदारी दर्ज की गयी। कालान्तर में लुम्बा पुत्र रामजी फौत होने पर उसके वारिसदार थाना, पीरा पिसरान लुम्बा के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये गये एवं गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज की गयी एवं तत्पश्चात वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई। वर्तमान में वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 243 रकबा 0.75 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम व खसरा नम्बर 242 रकबा 0.85 हैक्टर राजकीय खाते में राजस्व रेकर्ड में दर्ज है इस प्रकार उक्त आराजी के संबंध में वास्तविक खसरा रिसेटलमेन्ट के दौरान वादग्रस्त आराजी पुराने खसरा नम्बर 141/1 रकबा 3 बीघा 4 विस्वा के नवीन खसरा संख्या 242 रकबा 0.85 हैक्टर, व खसरा संख्या 243 रकबा 0. 75 हैक्टर जुमले रकबा 1.60 हैक्टर सृजित किये गये। जो उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। पुराने खसरा संख्या 141/1 रकबा 3 बीघा 4 विस्वा का रकबा हैक्टर में परिवर्तित करने पर 0.52 हैक्टर बनता है। जबकि रिसेटलमेन्ट अधिकारीयों व कर्मचारियों द्वारा बिना सक्षम अधिकारी या न्यायालय के आदेश के अपने अधिकारों व पद का दुरूपयोंग कर नये खसरा संख्या सृजित कर खसरा संख्या 242 रकबा 0.85 हैक्टर व खसरा संख्या 243 रकबा 0.75 हैक्टर जुमले रकबा 1.60 हैक्टर राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दी एवं इसी माफिक राजस्व अभिलेख नक्शा ट्रेस आदि में दर्ज कर तरमीम कर दी। पूर्वाधिकारी को खसरा संख्या 141/1 रकबा 3 बीघा 4 विस्वा (0.52हैक्टर) आवंटन हुई थी। जबकि रिसेटलमेन्ट अधिकारीयों व कर्मचारियों ने अपने अधिकारों व पद का दुरूपयोग कर प्रतिवादी संख्या 1 को अवैधानिक तरीके से निजि फायदा पहुचाने की बदनियती ने नवीन खसरा नम्बर 243 रकबा 0.75 हैक्टर आराजी उसके खाते में दर्ज कर दी। प्रतिवादी संख्या 1 के खाते में 0.23 हैक्टर अधिक दर्ज कर दी। जो कतई गलत व विधिविरूध दर्ज कर दी। वादग्रस्त आराजी दोनों ग्रामों की सीमा पर स्थित होने से रिसेटलमेन्ट के दौरान पुराने रकबा 3 बीघा 4 विस्वा (0.52 हैक्टर) के स्थान पर रकबा 1.60 हैक्टर राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर देने से वक्त पैमाईश आवरलिपिंग होने लगे। अतः वादीगण ने इस्तदुआ चाही कि ग्राम बिलड़ की वादग्रस्त आराजी पुराने खसरा नम्बर के अनुसार दुरूस्ती कर राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज करवाया जावें।

3. प्रतिवादीगण से सम्मन तामील होकर प्राप्त हुए। प्रतिवादी की ओर से वकील श्री पूखराज विश्नोई ने वकालतनामा पेश किया। जवाब पेश न कर दिनांक 16.11.2017 को No Instruction Plead प्रस्तुत किया। इस पर प्रतिवादी संख्या 1 को नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 का नोटिस दिनांक 08.01.2018 को तामील होकर प्राप्त होने पर भी उपस्थित नहीं होने से एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 09.01.2018 को की गयी। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 भूमिधारी तहसीलदार द्वारा जवाब दिनांक 13.04.2018 को प्रस्तुत किया। जिसमें ग्राम बिलड़ व चारा सीमा से संबंधित होना व वर्तमान में वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 243 रकबा 0.75 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम व खसरा नम्बर 242 रकबा 0.85 हैक्टेयर राजकीय खाते में राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है। जो मौके पर खाली पडी है। उक्त वादग्रस्त भूमि को पैमाईश सेटलमेंट विभाग की टीम द्वारा दिनांक 16.04.2015 व 17.04.2015 को की गई। जिसमें मौके नक्शानुसार दोनों ग्रामो की सीमाओं का मिलान नहीं हो रहे है।

4. वादीगण ने शहादत हेतु पी. डब्ल्यु श्री ह[illegible] पुत्र आलाजी कलबी साकिन चारा तहसील रानीवाड़ा का साक्ष्य [illegible] साक्ष्य शपथ–पत्र की शहादत दिनांक 05.09.2019 को ली गयी। उक्त साक्ष्य शपथ–पत्र की प्रति प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से दिनांक 26.06.2018 को [illegible]लदार के रीडर को उपलब्ध करवाई गयी। शहादत में वादी द्वारा वाद में प्रस्तुत दस्तावेज ग्राम बिलड का मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–1, जमाबंदी संवत् 2071–2074 खाता संख्या 1 खसरा नम्बर 242 रकबा 0.8500 हैक्टर की नकल प्रदर्श–2 जमाबंदी खाता संख्या 67 जेरूपाराम पुत्र रावताराम कौम

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.03.12 18:43:25 IST
Reason: SelfAttested

सरगरा खसरा नम्बर 243 रकबा 0.7500हैक्टर की नकल प्रदर्श–3, खतौनी बंदोबस्त ग्राम बिलड खाता संख्या 102 बंजर खसरा नम्बर 141/1 रकबा 3/4 बारानी सोयम की नकल प्रदर्श–4 जमाबंदी संवत् 2037–2040 गैर खातेदार खसरा नम्बर 141/1 रकबा 3/4 जो ना. क. संख्या 165 के अनुसार लुम्बा पुत्र रामजी भांबी के फौत होने से उनके उत्तराधिकारान थाना, पीरा पिसरान लुम्बा को गैर खातेदार से खातेदार की प्रविष्टि करने की नकल प्रदर्श–5, जमाबंदी संवत 2047 से 2050 खाता संख्या 1 खसरा संख्या 242 रकबा 0.8500 हैक्टर की प्रमाणित नकल प्रदर्श–6, खतौनी जमाबंदी संवत् 2046–65 खाता संख्या 158 थाना, पीरा पिसरान लुम्बा कौम मेगवंशी खसरा संख्या 243 रकबा 0.75 हैक्टर की नकल प्रदर्श–7, खतौनी जमाबंदी संवत्2046–65 खाता संख्या 2 खसरा नम्बर 242 रकबा 0.85 हैक्टर सिवायचम की नकल प्रदर्श–8, गम्रम चारा की जमाबंदी संवत्2065–68 खाता संख्या 8 आला, नगा, रूडा, बीजला, सामती पिसरान अना वगैरा की नकल प्रदर्श–9, मिलान क्षैत्रफल की नकल प्रदर्श–10, जमाबंदी खतौनी संवत् 2056–65 खाता संख्या 7 की नकल प्रदर्श–11, जमाबंदी खतौनी संवत्2046–65 खाता संख्या 7 हंसा पुत्र राजा नाई 1/4 की नकल प्रदर्श–12, तहसीलदार (भु. अ.) रानीवाड़ा आदेश संख्या /42/15/685 दिनांक 27.03.2015 प्रदर्श–13, भु–प्रबंध विभाग की टीम द्वारा संधारित मौका फर्द के 16, 17 अप्रेल 2015 की नकल प्रदर्श–14, ग्राम बिलड का नक्शा ट्रेस की नकल प्रदर्श–15, ग्राम चारा का नक्शा ट्रेस की नकल प्रदर्श–16, ग्राम बिलड का पुराना खसरा संख्या, नक्शा नकल प्रदर्श–17, ग्राम चारा का पुराना खसरा नम्बर नक्शा नकल प्रदर्श–18, पेश किये। इसके अलावा तहसीलदार (भु.अ.) रानीवाडा के पंत्राक/भु.अ./14/1370 दिनांक 10.06.2014, मौका फर्द दिनांक 30.05.2014, जगाराम द्वारा भु–प्रबंध विभाग की टीम से पैमाईश कराने हेतु पेश किये। प्रतिपरीक्षण प्रतिवादी संख्या 2 से 4 द्वारा की गई। यह कहना गलत है कि मौके पर हमारा कब्जा पुराने खसरा नम्बर अनुसार नहीं हैं

5. साक्ष्य शपथ–पत्र बिजलाराम पुत्र अजाजी कलबी साकिन चारा का प्रस्तुत किया।

6. प्रतिवादी संख्या 2 भुमिधारी तहसीलदार रानीवाडा द्वारा जबाब दिनांक 13.04.2018 को प्रस्तुत किया। इस जवाब का अवलोकन किया। ग्राम बिलड व चारा की सीमा से संबंधित होना व वर्तमान में वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 243 रकबा 0.75 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम व खसरा संख्या 242 रकबा 0.85 हैक्टर राजकीय खाते में रजस्व रेकर्ड में दर्ज होना अंकित किया, जो मौके पर खाली पडी है। उक्त वादग्रस्त भुमि को भु–प्रबंधं विभाग की टीम द्वारा दिनांक 16 व 17 अप्रैल 2015 की गई। जिससे मौके पर नक्शानुसार दोनों ग्रामों की सीमाओ का मिलान नहीं हो रहे है। राजस्व भुमि के विवाद का निस्तारण करने हेतु भुमिधारी तहसीलदार द्वारा तहसील स्तर पर संधारित रेकर्ड एवं भु–प्रबंध विभाग द्वारा सेटलमेन्ट के दौरान संधारित रेकर्ड से मिलान किया जाना आवश्यक हो जाता है। हस्तगत प्रकरण में भु–प्रबंध विभाग टीम से पैमाईश कराने से दोनों ग्रामों की सीमाओं का मिलान नही होना बताया है। परन्तु भुमिधारी तहसीलदार द्वारा दोनों ग्रामों की सीमा के खसरा नम्बर का परीक्षण नहीं किया गया हैं। भुमिधारी के अनुसार राजस्व रेकर्ड पुर्ण रूप से संधारित रखने का दायित्व है। जब ग्राम बिलड के पुराने खसरा नम्बर 141/1 रकबा 3 बीधा 4 विस्वा का हैक्टर में परिवर्तित करने पर रकबा 0.52 हैक्टर बनता है। जबकि नया खसरा नम्बर 243 रकबा 0.75 हैक्टर का प्रतिवादी संख्या 1 के खाते में दर्शाया गया। इस प्रकार रकबा 0.23 हैक्टर अधिक रकबा दर्ज [illegible] है। उक्त त्रुटि किस स्तर पर रेकर्ड संधारित करते समय हुआ हुई है। [illegible] ट्रेस नवीन व पुराना में उक्त रकबा बढने का क्या आधार है। इस संबध [illegible] विभाग के द्वारा सेटलमेन्ट के दौरान संधारित रेकर्ड से किया जाना आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.03.12 18:43:25 IST
Reason: SelfAttested

7. राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त करने के राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर से निर्देश भी प्राप्त हैं तथा रेकर्ड दुरूस्ती के संबंध में विभिन्न स्तर की शक्तिया भी प्रदन्त हैं वर्तमान भु–प्रबंध रेकर्ड सेग्रीगेशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई खसरा यदि किसी पास के ग्राम में

जीपीएस पैमाईश के आधार पर आता है। तो उसकी दुरूस्ती जिला कलेक्टर (भु.अ.) जालोर को भिजवा कर करवाई जाने के निर्देश है। अथवा शुद्विपत्र द्वारा दुरूस्ती की जाती है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में खसरा नबंर का मिलान क्षैत्रफल से मिलान करने तथा प्रस्तुत दस्तावेजात प्रदर्श–1 से 18 तक प्रस्तुत किये गये से मिलान करने पर ग्राम बिलड के खसरा नबंर में अन्तर आता है तथा ग्राम बिलड के पास ग्राम चारा की लगती सीमा है। जब न्यायालय के समक्ष राजस्व रेकर्ड की त्रुटि प्रकट होती है तो न्यायालय को पुर्ण जांच कर नियमो के अन्तर्गत पुर्ण परीक्षण रेकर्ड से करने के पश्चात् वादीगण को न्याय दिलवाया जाना न्याय संगत है। अत। भुमिधारी तहसीलदार रानीवाडा को आदेश किया जाता है कि हस्तगत प्रकरण में ग्राम बिलड व चारा की सीमा पर स्थित खसरा नबंरान का पुर्ण रूपेण परीक्षण कर वास्तविक स्थिति दर्शाते हुऐ सक्षम अधिकारी को प्रस्ताव भिजवाकर दुरूस्ती करवाई जावे। इस आदेश की पालना करने के संबंध में रिपोर्ट भी प्रस्तुत करे। उक्त निर्णय की प्रति तहसीलदार रानीवाडा को भेजी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(प्रकश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलक्टर
रानीवाडा (राज0)

निर्णय आज दिनांक 18.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
रानीवाडा (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.03.12 18:43:25 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल्स 6–7, जाब्ता दीवानी)
(civil procedure code, Appendix "D"-1)
अज अदालत सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला जालोर
पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल आर.ए.एस.

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. जगाराम पुत्र अजाजी 2. रूडाराम पुत्र अजाजी 3. बीजलाराम पुत्र अजाजी 4. सामतीराम पुत्र अजाजी 5. आला वल्द अजाजी फौत के वारीसानः– 5/1 पूनमाराम पुत्र आलाजी 5/2 हरजीराम पुत्र आलाजी कौम कलबी साकिन चारा तहसील रानीवाडा जिला जालोर	बनाम	1. जैरूपाराम वल्द रावताराम कौम सरगरा साकिन बिलड 2. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा 3. हल्का पटवारी कागमाला हल्का पटवारी चितरोडी तहसील रानीवाडा

अन्तर्गत धारा,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व वाद संख्या 24/2016

यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादीगण की ओर से वकील श्री जबराराम पूरोहित उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वकील श्री पूखराज विश्नोई व प्रतिवादी संख्या 2 राजपेरोकार उपस्थित। मनजानिव मुद्रायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि मौजा ग्राम बिलड व चारा की सीमा पर स्थित खसरा नबंरान का पुर्ण रूपेण परीक्षण कर वास्तविक स्थिति दर्शाते हुऐ सक्षम अधिकारी को प्रस्ताव भिजवाकर दुरूस्ती करवाई जावे। उक्तानुसार निर्णय की अंतिम डिक्री जारी कि जाती है।

पक्षकारन अपना अपना खर्चा वहन करें । तहसीलदार रानीवाडा को पालना हेतु निर्णय की प्रति मय डिक्री पर्चा भिजवायी जाए।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 18.02.2021 को जारी की गई।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–जालोर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	3	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	जवाबदावा	0	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	0	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीष्नर	0	00	फीस कमीष्नर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00
मौजाना	4	00	**मौजाना**	1	00

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.03.12 18:43:25 IST
Reason: SelfAttested